# न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

पत्रावली संख्याः–2022/344

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश

अनवानीः–

लाधुराम पुत्र मलाराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
अप्रार्थी

2. रामस्वरूप पुत्र मलाराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना त. नोहर
तरतीबी अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज. काश्त. अधि. 1955)

**–:निर्णयः–**

दिनांक :– 06.04.2023

प्रार्थी रामनिवास ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी 01 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं तरतीबी पक्षकार के नाम रोही मौजा चक 5 आर.एम.जी. तहसील नोहर के खाता सं 105/105 के प.न. 362 /458 मु.न. 40 के किला नं. 2 की 0.0120 हैक्टर भूमि 3 की 0.1390 हैक्टर, 8–9 की 0.5060 हैक्टर, 10 की 0.1010 हैक्टर, 11-12-13 की 0.7590 हैक्टर, 18–19–20 की 0.7590 हैक्टर, 21 व 22 की 0.5060 कुल किता 13 रक्बा 2.757 हैक्टर भूमि, प.न. 362 /459 मु.न. 41 के किला नं. 423 की 0.0120 हैक्टर, 7 / 1 की 0.0130 हैक्टर, 14 /2 की 0.0960 हैक्टर भूमि, 15/2 की 0.1260 हैक्टर, 16-17 की 0.5060 हैक्टर, 24–25 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 362 /460 मु.न. 60 के किला नं. 5/1 की 0.2280 हैक्टर 5/2 की 0.0.0250 हैक्टर, गै.मु. खाला, 6/1 की 0.2280 हैक्टर 6/2 की 0.0.0250 हैक्टर, गै. मु. खाला, कुल 25 किता की 4.5220 हैक्टर भूमि में लाधुराम–रामस्वरूप पिसरान मलाराम जाति मेघवाल साकिन बड़बिराना ब.हि.ब के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खाता संख्या 105/105 की एक बीघा भूमि

Sign

Digita
Kiroriv
Date:
Reaso

CS CamScanner

प्रार्थी के नाम से होने के बावजुद सवर्ण जाति के अप्रार्थी के कब्जे में है। उक्त आराजी का कब्जा खाली कराया जाकर प्रार्थी को सापा जावें।

इस सन्दर्भ में दिनांक 23.01.2023 को नायब तहसीलदार रामगढ़ मय हल्का पटवारी दिनांक 19.01.2023 द्वारा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 105/105 की सर्वे उपरान्त रिपोर्ट पेश की, जिसमें दर्शाया गया कि खाता संख्या 105/105 के प.न. 362 /458 मु.न. 40 के किला नं. 2 की 0.0120 हैक्टर भूमि 3 की 0.1390 हैक्टर, 8–9 की 0.5060 हैक्टर, 10 की 0.1010 हैक्टर, 11-12-13 की 0.7590 हैक्टर, 18–19–20 की 0.7590 हैक्टर, 21 व 22 की 0.5060 कुल किता 13 रक्बा 2.757 हैक्टर भूमि, प.न. 362 /459 मु.न. 41 के किला नं. 423 की 0.0120 हैक्टर, 7 / 1 की 0.0130 हैक्टर, 14 /2 की 0.0960 हैक्टर भूमि, 15/2 की 0.1260 हैक्टर, 16-17 की 0.5060 हैक्टर, 24–25 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 362 /460 मु.न. 60 के किला नं. 5/1 की 0.2280 हैक्टर 5/2 की 0.0.0250 हैक्टर, गै.मु. खाला, 6/1 की 0.2280 हैक्टर 6/2 की 0.0.0250 हैक्टर, गै.मु. खाला, कुल 25 किता की 4.5220 हैक्टर खातेदारी भूमि लाधुराम पुत्र मालाराम कोम मेघवाल अनुसुचित जाति वर्ग के काश्तकार के नाम है जिस के प0न0 362 /458 मु0न0 40 कि0न0 3 की 0.025 एवं 8 की 0.006 किता 2 रक्बा 0.031 है0 भूमि पर रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना ने अतिक्रमण कर रखा है प0न0 362 /458 मु0न0 40 कि0न0 3 रक्बा 0.025 पर 2 बोरबेल मय सौर उर्जा चालित एवं रास्ता मौके पर बने हुए है।

प्रारम्भिक तौर पर मामला धारा 183 (बी) का बनने से दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अपना पक्ष रखने वास्ते दिनांक 22.08.2022 को जरिए नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 15.09.2022 नियत की गई। पेशी दिनांक 15.09.2022 को अप्रार्थी लाधुराम जरिए वकिल श्री रविन्द्र गोदारा ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर किए जो सामिल मिसल किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

**जवाब अप्रार्थी संख्या 1 लाधुराम:**– सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि उक्त विषय मात्र सीमाज्ञान का है कब्जा का प्रश्न नही हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्धित अनैक प्रकरण तथा इसी से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रकरणों HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR S.B. Civil Writ Petition No. 9039/2019 Satyanarayan vs Board Of Revenue Rajasthan Ajmer, HIGH COURT OF

Sign
Digita
Kiroriv
Date:
Reaso

CS CamScanner

JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR S.B. CIVIL WRIT PETITION NO.7319/2013(Shiv Kumar &Ors. Vs. Board of Revenue &Ors.), D.B. CIVIL SPECIAL APPEAL (WRIT) No.617/2013 in S.B. CIVIL WRIT PETITION No.7319/2013 Smt. Rampayari&Ors. V/s The District Collector, Jhunjhunu &Ors, IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN JAIPUR BENCH, JAIPUR DB Civil Special Appeal (W) No.07658/2011 Bhanwar Lal Vs. Board of Revenue & Ors.Date:28/07/2011 आदि अनेक फैसलों का भी अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब 15.09.2022 को ही पेश किया जा चूका था अतः पत्रावली दिनांक 06/04/2023 को वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्यों, सबुतों का अवलोकन किया। हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट तथा इससे संबंधित अनेक माननीय न्यायालय के फैसलों का भी अवलोकन किया गया। इसके सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्यों, सबुतों, दस्तावेजों इत्यादि से संक्षिप्त में मामला इस प्रकार बनता है कि चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 105/105 के प.न. 362 /458 मु.न. 40 के किला नं. 2 की 0.0120 हैक्टर भूमि 3 की 0.1390 हैक्टर, 8–9 की 0.5060 हैक्टर, 10 की 0.1010 हैक्टर, 11-12-13 की 0.7590 हैक्टर, 18–19–20 की 0.7590 हैक्टर, 21 व 22 की 0.5060 कुल किता 13 रक्बा 2.757 हैक्टर भूमि, प.न. 362 /459 मु.न. 41 के किला नं. 423 की 0.0120 हैक्टर, 7 / 1 की 0.0130 हैक्टर, 14 /2 की 0.0960 हैक्टर भूमि, 15/2 की 0.1260 हैक्टर, 16-17 की 0.5060 हैक्टर, 24–25 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 362 /460 मु.न. 60 के किला नं. 5/1 की 0.2280 हैक्टर 5/2 की 0.0.0250 हैक्टर, गै.मु. खाला, 6/1 की 0.2280 हैक्टर 6/2 की 0.0.0250 हैक्टर, गै.मु. खाला, कुल 25 किता की 4.5220 हैक्टर खातेदारी भूमि लाधुराम एवं रामस्वरूप पि० मालाराम कोम मेघवाल हिस्सा बहिब अनुसुचित जाति वर्ग के काश्तकार की खातेदारी भूमि है, राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रार्थी मेघवाल जाति (अनुसूचित जाति) से सम्बन्धित है। जबकि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 19.01.2023 एवं नायब तहसीलदार 23.01.2023 की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में प्रार्थी की भूमि पर स्वर्ण जाति के लोगों का कब्जा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) सपठित धारा 42 में धारा 183 (बी) के तहत अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर

Signa
Digita
Kiroriv
Date:
Reaso

CS CamScanner

अतिक्रमियों (अतिधारियों) की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली तथा धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्य की खातेदारी भूमि का अन्य जाति के सदस्य के पक्ष में सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शुन्य प्रभावी होगी इस आधार पर अप्रार्थी द्वारा पेश की गई सम्पूर्ण जवाब शून्य प्रभावी हैं। चक 5 आरएमजी के प0न0 362 /458 मु0न0 40 कि0न0 3 रक्बा 0.025 पर 2 बोरबेल मय सौर उर्जा चालित एवं रास्ता को समस्त अवलोकन के बाद अतिक्रमी (अत्याचारियों) से मुक्त/खाली कर प्रार्थी को कब्जा सौंपने का निर्णय किया जाना न्यायपूर्ण है।

अतः चक 5 आर.एम.जी. के प0न0 362 /458 मु0न0 40 कि0न0 3 रक्बा 0.025 पर से अप्रार्थी रामनिवास से अतिक्रमण/कब्जा खाली करवाकर प्रार्थी को कब्जा सौंपने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना कर निर्णय को सुनिश्चित करने हेतु पत्रावली इजराय में दर्ज की जाए।

आदेश आज दिनांक 06.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दफ्तर दाखिल हो।

3।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Sign

Digita
Kirori
Date:
Reaso

CS CamScanner